



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042025-262657
CG-DL-E-24042025-262657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2025/वैशाख 4, 1947

No. 1817]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2025/VAISAKHA 4, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

का.आ. 1850(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'मैसूर पैलेस बोर्ड' (PAN: AAAGM0484M), जो मैसूर पैलेस (अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1998 के तहत स्थापित एक बोर्ड है, को उक्त बोर्ड से उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- (क) पैलेस से आय या बोर्ड में निहित किसी भी संपत्ति से आय;
- (ख) मैसूर पैलेस (अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1998 के तहत बोर्ड द्वारा लगाए गए सभी शुल्क और प्रभार जो बोर्ड निधि का हिस्सा बनते हैं;
- (ग) सरकारी एजेंसियों को किराये पर दी गई दुकानों/स्टॉलों से प्राप्त किराया; और
- (घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि मैसूर पैलेस बोर्ड –

- (क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलापों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के लिए संगत होगी तथा कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए लागू होगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना संख्या 39/2025/फा. सं. 300196/94/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।